RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

POLITY

नागरिकता



LIVE STREAMING 18-07-2024 11:00 AM


INDIA
States and Union Territories
TAJIKISTAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA (TIBET)
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR (BURMA)
SRI LANKA
LADAKH
Leh
Srinagar
JAMMU & KASHMIR
Jammu
HIMACHAL PRADESH
Shimla
PUNJAB
Chandigarh
Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
New Delhi
UTTAR PRADESH
Lucknow
Jaipur
RAJASTHAN
SIKKIM
Gangtok
ARUNACHAL PRADESH
Itanagar
Dispur
ASSAM
NAGALAND
Kohima
Shillong
MEGHALAYA
Imphal
MANIPUR
Agartala
TRIPURA
Aizawl
MIZORAM
BIHAR
Patna
JHARKHAND
Ranchi
WEST BENGAL
Kolkata
Gandhinagar
GUJARAT
Bhopal
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
Raipur
ODISHA
Bhubaneswar
BAY OF BENGAL
Daman
Silvassa
DAMAN & DIU
DADRA & NAGAR HAVELI
MAHARASHTRA
Mumbai
TELANGANA
Hyderabad
Amaravati
Yanam (Puducherry)
ARABIAN SEA
Panaji
GOA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
Bengaluru
Chennai
Mahe (Puducherry)
PUDUCHERRY
Karaikal (Puducherry)
TAMIL NADU
KERALA
Kavaratti
LAKSHADWEEP (INDIA)
Thiruvananthapuram
Palk Strait
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (INDIA)
Port Blair
International Boundary
State/UT Boundary
Country Capital
State/UT Capital
Map not to Scale
INDIAN OCEAN
Copyright © 2019 www.mapsofworld.com

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अन्य सदस्य थे-

After the formation of a separate state for Telugu speakers, the demand for a separate state by other language speakers also intensified; for which a three-member committee headed by Justice Fazal Ali was considered in 1953-

राज्य पुनर्गठन आयोग → फजल अली आयोग → गठन ⇒ 1953
State Reorganization Commission → रिपोर्ट ⇒ 30 Dec. 1955
↳ अध्यक्ष - न्यायमूर्ति फजल अली
↳ कुल सदस्य (1+2) ⇒ 3

रिपोर्ट ⇒ भाषा आधारित राज्यों का गठन ✗ ⇒ स्वीकार

→ Part-7 भाग ⇒ भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया
A, B, C, D
क, ख, ग, घ

⇒ Part-7 को समाप्त → स्वीकार

↳ 7 वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग-7 को समाप्त

⇒ भारत में 16 राज्य (States) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ⇒ इनका गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधि० (State Re-organization Act) पारित करना चाहिए।

⇒ 14 राज्य (States)
6 केंद्र शासित प्रदेश (UTs)

इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधि० के द्वारा 1956 में किया गया।

1956

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
State Re-organization Act 1956 ⇒ संसद द्वारा पारित
Passed by the Parliament

वर्तमान ⇒ 28 राज्य
↳ 8 केंद्र शासित प्रदेश (UTs)

के.एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरु) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-orga- nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This commission submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act-1956 was passed

इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7 वाँ संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के चार श्रेणी, यथा- क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष
• आन्ध्र प्रदेश *	1 अक्टूबर, 1953 ई.
• गुजरात * → 15	1 मई, 1960 ई.
• नगालैंड → 16	1 दिसम्बर, 1963 ई.
• हरियाणा → 17	1 नवम्बर, 1966 ई.
• हिमाचल प्रदेश 18	25 जनवरी, 1971 ई.
• मेघालय 19, मणिपुर 20, त्रिपुरा 21 *	21 जनवरी, 1972 ई.
• सिक्किम * → 22 वां राज्य	16 मई, 1975 ई.
• मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987 ई.
25 • गोवा	30 मई, 1987 (25 वां राज्य)
26 • छत्तीसगढ़ * (Madhya Pradesh)	1 नवम्बर, 2000
27 ← • उत्तराखण्ड * → Uttar Pradesh	9 नवम्बर, 2000
28 ← • झारखण्ड *	15 नवम्बर, 2000
• तेलंगाना *	2 जून, 2014

1956 → 14 राज्य

सिक्किम

35 CA 1974
↳ Associate state
सह-राज्य

36 CA 1975
↳ पूर्ण राज्य का दर्जा

गोवा ⇒ पुर्तगालियों का अधिकार
↳ 1510 ⇒ अल्बुकर्क
↳ 1961 तक इनका अधिकार

↳ स्वतंत्रता ⇒ भारतीय सेना ने "आपरेशन विजय"
↳ 1961 गोवा को स्वतंत्र

↳ 56(A)1987
⇓
भारत का 25 वां राज्य

दमन और दीव स्वतंत्र ⇒ 1961

2014 - 2019
↳ राज्य ⇒ 29

29 वां राज्य ⇒ तेलंगाना ⇒ 2 June 2014 ✓
(आंध्र प्रदेश)

29 − 1 (J.K.)
(28) राज्य

2019 ⇒ J.K. राज्य ✗
↳ J.K.-U.T

केंद्र शासित प्रदेश ⇒ 1956 ⇒ (6) ⇒ U.T.s

(7) ⇒ पुदुचेरी
(8) ⇒ J&K
(9) ⇒ लद्दाख

वर्तमान ⇒ 8 (U.T.s)

9 - 1 ⇒ (8)

(1) दिल्ली
(2) अंडमान & निकोबार
(3) लक्षद्वीप
(4) चंडीगढ़
(5) दादर नागर हवेली] ⇒ 26 Jan. 2020 को दादर नागर हवेली & दमन दीव का
(6) दमन दीव + ⇒ (1)] (Merge) विलय कर दिया गया।

(7) पुदुचेरी
(8) J&K
(9) लद्दाख ⇒ 2019 में

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को दो नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आये।

Under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, two new Union Territories came into force on 31 October 2019.

(1) J&K ⇒ J&K 2019 से पहले भारत का एक राज्य (state) था।
(2) लद्दाख

26 जनवरी, 2020 से "दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली" संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश बन गये।

From 26 January 2020, "Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli" jointly became Union Territories.

इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र है।

Thus, at present there are a total of 28 states and 8 Union Territories in India.

⇒ 69वें संविधान संशोधन अधि. 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' कर दिया गया।

The 69th Constitutional Amendment Act, 1991 changed the name of the Union Territory of Delhi to 'National Capital Territory of Delhi'.

(नागरिकता (Citizenship)

भारतीय संविधान का भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।

Part-2 of the Indian Constitution, Articles 5 to 11 are about citizenship. India has provision for single citizenship like Britain. America has dual citizenship.

भारतीय नागरिकता → गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा दी जाती है।

Part (भाग) → II

Art. 5-11, भारत में → Single citizenship → ब्रिटेन से ली है।
एकल नागरिकता

Dual citizenship
दोहरी नागरिकता
↓
USA

इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

According to this Act, Indian citizenship can be obtained in the following 5 ways.

1. जन्म से (By Birth)

कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा।

Any person born in India on or after 26 January 1950 will be a citizen of India.

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986' पारित किया गया। जिसके अनुसार- जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है।

Citizenship Amendment Act, 1986 was passed. According to which, for citizenship by birth, it is now necessary that at the time of birth of the person, either of his parents was a citizen of India.

2. वंशपरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई. को या उसके बाद जन्म लेनें वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है,

A person born on or after 26 January 1950 in any country outside India can be a citizen of India,

यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

if at the time of his birth either of his parents is a citizen of India. The provision of granting citizenship to a person born abroad on the basis of mother's citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992.

3. पंजीकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा-

Any of the following persons can acquire Indian citizenship through registration. As-

पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह (अब 5 वर्ष) पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति।

A person residing in India for 6 months (now 5 years) prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किन्तु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो।/Persons who were born in India but are residing in any country outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है।/A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

भारतीय नागरिकों के अवयस्क (Minor) बच्चे।

Minor children of Indian citizens.

4. देशीयकरण से (By Naturalisation)

कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, /Any foreign national who is an adult and has renounced the citizenship of his country and has informed the Government of India about it and has been living in India continuously for at least one year before applying for Indian citizenship,

इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्तकर भारत का नागरिक बन सकता है।

Along with this, he has also lived in India for a total of at least 7 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the languages mentioned in the Constitution, then he can become a citizen of India by obtaining a certificate of naturalization from the Government of India.

5. भूमि के अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वत: भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian citizenship.

नागरिकता का अन्त (The Abolition of citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है-

/The citizenship of an Indian citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर

On acquiring the citizenship of another country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या

On renouncing the citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर

On being deprived of citizenship by the government

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-

The Government of India may deprive a person of Indian citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,

For showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,

For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर,

For acquiring citizenship by wrong means,

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के

or acquiring citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।

On being sentenced to 2 years imprisonment by any other country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करनेपर, या

On an Indian woman marrying a foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।

On staying outside India for 7 continuous years.

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence- ment of the Constitution) के बारे में है।

अनुच्छेद-6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

Article 6, rights of citizenship of persons coming to India from Pakistan

अनुच्छेद-7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan.

अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में हैं।)

Article 8 deals with the right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India.

अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है।*

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a citizen of a foreign state, his Indian citizenship automatically ends.*

अनुच्छेद-10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the citizenship of a person can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.